रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1969/फाल्गुन 9, 1890

No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1969/PHALGUNA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बजट 1969-70

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण

28 फरवरी 1969

महोदय,

मैं चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि का पहला बजट पेश कर रहा हूं। इस काम में मेरी कठिनाई यह है कि आयोजना का प्रलेख अभी माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। इस समय तो मैं केवल सूत्रधार के रूप में आप के सामने उपस्थित हुआ हूं जिसका काम नाटक प्रारम्भ

होने से पहले कुछ समय के लिये रंगमंच पर आकर नाटक में दर्शकों की रुचि बढ़ाना होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम इस कारण निराश नहीं होंगे कि मेरा भाषण छोटा है।

प्रस्तावना

2. चालू वर्ष, जो अब समाप्त हो रहा है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये अच्छा वर्ष साबित हुआ है। अपने पिछले बजट-भाषण में मैंने यह आशा प्रकट की थी कि यदि सही नीतियां अपनायी जाएं तो 1968-69 का वर्ष पुन-रुत्थान का वर्ष हो सकेगा। यह आशा बहुत हद तक पूरी हो गयी है। इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की तरह, अन्न की फसल सन्तोषजनक होने की उम्मीद है। औद्योगिक पुनरुत्थान के साफ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में अनुमानतः लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिवहन का काम और व्यापार दोनों फिर बढ़े हैं। बिजली या कच्चे माल की ज्यादा कमी नहीं हुई है। मूल्यों का सामान्य स्तर इस समय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। आयोजनाओं के दौरान जो प्रयत्न किये गये हैं उनके कारण अब देश में ही ऐसी बहुत-सी चीजें तैयार की जा रही हैं जो पहले विदेशों से मंगायी जाती थीं। यद्यपि 1967-68 की अपेक्षा ऋण-शोधन का भार अधिक है और विदेशी सहायता का उपयोग कुछ कम हुआ है, तो भी सम्भवतः चालू वर्ष में हमारी विदेशी मुद्रा की रकम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार, कृषि के काम में नयी चेतना आ गयी है, उद्योगों का पुनरुत्थान हो रहा है, मूल्य फिर स्थिर हो गये हैं और हम स्वावलम्बन के लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति के आधार पर हम अब अगली पंच-वर्षीय आयोजना का काम काफी आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकते हैं। फिर भी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण अपनी इच्छा के अनुसार तुरन्त काम करने का हमारा दायरा बहुत कुछ सीमित हो जाता है।

3. यद्यपि अन्न की पैदावार बढ़ गई है, तो भी देश की बढ़ती हुई आबादी के लिये अन्न का सन्तोषजनक प्रबंध करने के लिये हमें अभी बहुत प्रयत्न करना है। कृषिजन्य कच्चे माल और अन्न का आयात अब भी काफी हो रहा है। इसलिये हमारे सीमित साधनों से कृषि में, जिसके अन्तर्गत अनुसन्धान, रासायनिक खाद और पानी जैसी खेती के लिये आवश्यक चीजें और किसानों को ऋण देने तथा अनाज के संग्रह की सुविधाएं भी आती हैं पूंजी लगाने की प्रथम आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता केवल परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में है।

4. पूंजीगत माल बनाने के उद्योग-धन्धों का देश में काफी विकास हो चुका है। इसलिये अधिक निवेश करना आवश्यक और साथ ही सम्भव भी हो गया है। पर अनुचित मूल्य-वृद्धि हुए बिना निवेश का बढ़ते रहना इसी आधार पर सम्भव है कि आम खपत की जरूरी चीजों का उत्पादन बढ़ता रहे। इसके लिये यह जरूरी है कि कृषि की उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धों में भी कुशलता और उत्पादन-क्षमता ज्यादा हो। इन उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देना इसलिये विशेष रूप से आवश्यक है कि ऐसा करने से उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रेरणा मिलती है और सरकार की आमदनी भी बढ़ती है।

5. इस वर्ष हम राष्ट्र-पिता की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं और हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आर्थिक विकास का अन्तिम ध्येय कई वांछनीय सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिये बुनियादी सुविधाओं, जैसे पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा-सहायता और काम करने के अवसर के सम्बन्ध में तथा वस्तुत: सामान्य समता की बढ़ती हुई मात्रा के सम्बन्ध में, जो समाजवादी समाज का आधार है, लोगों की जो स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना भी हमारे लिये आवश्यक है।

6 वैदेशिक क्षेत्र में जो सुधार हुआ है वह उतना ही उल्लेखनीय है जितना वांछनीय है; फिर भी, निर्यात से होने वाली हमारी आमदनी इस समय आयात-सम्बन्धी हमारी वर्तमान आवश्यकता का केवल दो तिहाई भाग है। इसलिये निर्यात बढ़ाने और विदेशों से मांगायी जाने वाली चीजों का देश में उत्पादन करने के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त होकर बैठे नहीं रह सकते। 1965–66 और 1966–67 की असाधारण परिस्थितियों के कारण अर्थ-व्यवस्था में बचत की दर कम हो गयी है। साधन जुटाने के बहुत प्रयत्न किये जाने और व्यय पर बहुत नियन्त्रण रखे जाने पर भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गयी है।

7. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अगली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विस्तृत क्षेत्र में फिर प्रगति शुरू करने के लिए देश की सामान्य आर्थिक स्थिति अनुकूल है। पर, खपत और निवेश के बीच, साधनों और परिव्यय के बीच, आर्थिक विकास और वैदेशिक भुगतान-क्षमता के बीच और वस्तुत: बड़े सामाजिक लक्ष्यों और विशुद्ध आर्थिक विचारों के बीच ठीक ठीक सन्तुलन बनाये रखने की भी आवश्यकता है। माननीय सदस्य अब यह देखेंगे कि प्राय: आर्थिक योजना बनाने वालों की गिनती सरकस में रस्सी पर चलकर तरह तरह के करतब दिखाने वालों की कला के सर्वोत्तम निदर्शकों में क्यों की जाती है।

1968–69 के संशोधित अनुमान

8. मैंने वर्तमान आर्थिक स्थिति की संक्षेप में चर्चा की है और थोड़े में यह भी बता दिया है कि भविष्य में कौन से कार्य किये जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा करते हुए मैंने योजना-आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया है। अब मुझे ज्यादा दुनियावी बातों का जिक्र करना है जो वित्त मन्त्रियों के भाग्य में बदा होता है। 1968–69 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, सीमा-शुल्क-राजस्व में, पिछले फरवरी मास में प्रस्तुत किये गये अनुमानों की तुलना में, 94 करोड़ रुपये की कमी होगी। इसके विपरीत, उत्पादन-शुल्कों और आयकर से 54 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने की आशा है। कर से भिन्न राजस्व को जोड़ने पर, ऐसा अनुमान किया जाता है कि केन्द्र को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में 11 करोड़ रुपये की ही कमी होगी जब कि 2760 करोड़ रुपये की वसूली प्रत्याशित थी।

9. राजस्व-खाते का व्यय 2629 करोड़ रुपये के बजट-अनुमान से सम्भवत: 116 करोड़ रुपया बढ़ जायगा। इस वृद्धि का लगभग आधा भाग हिसाब-किताब में किये जाने वाले परिवर्तनों के

कारण हुआ है और वह भी पूंजी खाते के उतने ही लाभ से प्रतिसन्तुलित हो जाता है। 49 करोड़ रुपये के और व्यय का कारण राजस्व-खाते का रक्षा-सम्बन्धी अधिक व्यय है। इस अधिक व्यय के ये कारण हैं—कुछ श्रेणियों के रक्षा-सेवा कर्मचारियों के भत्तों में वर्ष के दौरान की गयी वृद्धि ; मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया था ; महंगाई भत्ते का कुछ भाग वेतन में मिला देने का हाल का फैसला ; और वर्तमान आर्डरों के आधार पर सामान का अधिक शीघ्रता से प्राप्त होना। पूंजी खाते में, रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 13 करोड़ रुपये की कमी हुई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यदि रक्षा-सम्बन्धी व्यय में हुई वृद्धि को और केवल हिसाब-किताब में दिखाये जाने वाले व्यय को छोड़ दिया जाय, तो राजस्व-खाते का व्यय बजट-अनुमान की अपेक्षा एक प्रतिशत से भी कम बढ़ा है।

10. पूंजी-खाते में अधिक परिवर्तन हुए हैं। वास्तविक विदेशी सहायता में 121 करोड़ रुपये की और पी० एल० 480 सम्बन्धी तथा दूसरी अन्न-सहायता में 43 करोड़ रुपये की कमी होगी। यह कमी कुछ हद तक इन बातों से प्रतिसन्तुलित हो जायगी—बाजार-ऋणों में होने वाली वृद्धि में अन्न और रासायनिक खाद की खरीद आदि के लिए की जाने वाली व्यवस्था में कमी और आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में कुछ कमी। दूसरी मदों के अन्तर्गत भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण, कुल मिलाकर, साधनों सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है।

11. कुल मिलाकर, अब यह अनुमान है कि इस वर्ष बजट-सम्बन्धी कमी, बजट अनुमान के 290 करोड़ रुपये के मुकाबले, 260 करोड़ रुपया होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य घाटे की वित्त-व्यवस्था में हुए इस 10 प्रतिशत के परिवर्तन को इस बात का सबूत नहीं मानेंगे कि मैंने बजट-अनुमान बहुत कम लगाये थे।

1969–70 के बजट-अनुमान

12. अब मैं 1969–70 के बजट-अनुमानों की चर्चा करता हूं। मैंने यह अनुमान लगाया है कि करों की वर्तमान दरों के अनुसार केन्द्र को कुल मिला कर 151 करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मेरा अनुमान है कि सीमा-शुल्क-प्राप्तियों में और कमी हो जायगी, अर्थात ये प्राप्तियां 1969–70 में 426 करोड़ रुपया ही होंगी जबकि इस वर्ष य 445 करोड़ रुपया है। इस कमी का आधार यह अनुमान है कि जहां अन्न से भिन्न वस्तुओं के कुल आयात में कुछ वृद्धि होगी वहां पेट्रोलियम-पदार्थों जैसी उन वस्तुओं का आयात बहुत कम हो जायगा जिन पर शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगी हुई हैं। अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से होने वाली प्राप्ति में 101 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निगम-कर और आयकर से सम्भवतः 675 करोड़ रुपया प्राप्त होगा जब कि इस वर्ष उनसे 660 करोड़ रुपया मिलेगा। कर से भिन्न राजस्व में भी अनुमानतः 50 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

13. पर राजस्व में होने वाली वृद्धि से राजस्व खाते के व्यय में अधिक वृद्धि होगी। राजस्व खाते के रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। हिसाब-किताब में किये जानेवाले कुछ समायोजनों को छोड़ दिया जाय, तो आयोजना-व्यय से भिन्न असैनिक व्यय में 142 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें से 41 करोड़ रुपये की रकम ब्याज-प्रभारों की है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को 36 करोड़ रुपये की और रकम हस्तान्तरित करना आवश्यक हो गया है। आयोजना गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनसे सम्बन्धित वचन-बद्ध व्यय में लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर किये जाने वाले व्यय में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। शेष वृद्धि प्रशासनिक सेवाओं, कर-संग्रह और पड़ोसी देशों की सहायता समेत कई विविध मदों के अन्तर्गत हुई हैं। विस्तृत विवरण, हमेशा की तरह, व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

14. पूंजी खाते के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि बाजार ऋणों से अगले वर्ष 106 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम प्राप्त होगी जब कि इस वर्ष 81 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई है । छोटी बचतें 135 करोड़ रुपया आंकी गयी हैं—अर्थात् चालू वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ रुपया अधिक । पर इस वृद्धि का लगभग दो तिहाई हिस्सा राज्यों को मिलेगा । लोक भविष्य निधि से इस वर्ष के 2 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष सम्भवतः 5 करोड़ रुपया मिलेगा । दूसरी ओर अनिवार्य जमा की किसी समय प्रसिद्ध किन्तु अब प्रायः विस्मृत योजना का प्रवर्तक होने के नाते में 1963–64 में करायी गयी जमा की वापसी के लिए 25 करोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं ।

15. पी० एल० 480 सम्बन्धी और दूसरी अन्न सहायता को छोड़ देने पर, वास्तविक विदेशी सहायता में 1969–70 में सम्भवतः कुछ वृद्धि होगी । इस वर्ष इस सहायता की रकम 459 करोड़ रुपया है; अगले वर्ष वह अनुमानतः 467 करोड़ रुपया हो जायगी । चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम बढ़ जायगी, पर हमारा अनुमान है कि सहायता की प्राप्ति भी मुख्यतः इस कारण बढ़ेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने फिर सहायता देना शुरू कर दिया है ।

16. दिसम्बर 1968 में हमने 23 लाख मैट्रिक टन अन्न के आयात के लिए पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ एक करार किया । इसके अलावा, हमें कनाडा से काफी अधिक परिमाण में अन्न-सहायता और आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन से भी अन्तर्राष्ट्रीय अन्न प्रबन्ध के अन्तर्गत कुछ सहायता मिलती रही । इस प्रकार, जो अन्न-सहायता मिलना तय हो गया है उसमें से अधिकतर सहायता का आयात अगले वर्ष ही होगा । माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि अन्न और कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल के रियायती आयात का प्रबन्ध अभी और कुछ समय तक आवश्यक होगा । इसलिए पी० एल० 480 सम्बन्धी अनुदानों को छोड़कर, जिनका जिक्र राजस्व-अनुमानों में किया गया है, पी० एल० 480 सम्बन्धी लेन-देनों और दूसरी अन्न-सहायता के फलस्वरूप बजट के लिए वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली सहायता अगले वर्ष के लिए 224 करोड़ रुपया आंकी गयी है जब कि यह इस वर्ष के लिए 226 करोड़ रुपया आंकी गयी है ।

17. देश के अन्दर लिये जाने वाले ऋणों और विदेशी सहायता से मिलने वाली रकम में 13 करोड़ रुपये की जो वृद्धि होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पूंजी खाते के रक्षा सम्बन्धी व्यय में 17 करोड़ रुपये की और सीमावर्ती सड़कों सम्बन्धी व्यय म 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ।

18. जहां तक अन्य पूंजीगत लेन-देनों का सम्बन्ध है, अन्न और रासायनिक खाद दोनों के लेन-देनों से 76 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी । अन्न निगम (फूड कारपोरेशन) के पास मार्च 1969 के अन्त में सम्भवतः कुल 35 लाख मेट्रिक टन अन्न का संग्रह हो जायगा । हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसमें और 15 लाख मेट्रिक टन अन्न की वृद्धि कर दी जाय । हमारा इरादा है कि इस काम के लिए 1969–70 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय । आवश्यक रकम का शेष भाग अन्न निगम को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जायगा ।

19. अन्न और रासायनिक खाद के लेन-देनों से होने वाली अधिक प्राप्ति राजस्व खाते और पूंजी खाते में होने वाली पूर्वोक्त व्यय-वृद्धियों से और विभिन्न विविध ऋण-जमा

शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली कम प्राप्तियों से समाप्त हो जायगी । मुझे राज्यों द्वारा केन्द्र को चुकायी जाने वाली रकमों में कुछ फेर-बदल करके उन्हें कुछ राहत पहुंचाने की और कुछ राज्यों के आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय के लिए धन की कमी दूर करने के लिए उनकी सहायता करने की भी व्यवस्था करनी पड़ी है ताकि राज्य अगले वर्ष संतोषप्रद आयोजना का काम शुरू कर सकें । कुल मिलाकर स्थिति यह है कि करों की वर्तमान दरों और देश के अन्दर लिये जाने वाले ऋणों तथा विदेशी सहायता से जितने साधन उपलब्ध हो सकेंगे उनसे केन्द्रीय सरकार के अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए और अधिक व्यवस्था करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

20. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट-सम्बन्धी अंशदान में अगले वर्ष चालू वर्ष की तुलना में सम्भवत: कोई खास वृद्धि नहीं होगी । प्रशासनिक सुधार आयोग ने और सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और अच्छी तरह काम करने के प्रश्न की विस्तार से छानबीन की है। सरकार इन उपक्रमों के काम को सुधारने के लिए कई फैसले कर चुकी है । मैं इस विषय पर एक ज्ञापन माननीय सदस्यों में अलग से वितरित करा रहा हूं ।

21. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि क्या आयोजना के लिए उपलब्ध साधन, आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय कम करके, बढ़ाये नहीं जा सकते थे । मैंने अगले वर्ष के व्यय के अनुमान तैयार करते समय इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है । पर माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय में कुछ वृद्धि होना तो अनिवार्य है क्योंकि वह संविदागत दायित्व (काण्ट्रैक्चुअल आब्लिगेशन) या पहले किये जा चुके फैसलों के कारण होती है । असैनिक व्यय में जो वृद्धि होनी है उसमें से अधिकतर वृद्धि, पूरी की गयी आयोजनागत योजनाओं को आयोजना के क्षेत्र से अलग किये जाने से, ब्याज-प्रभारों से, निर्यात-प्रोत्साहन से, मंहगाई भत्ते सम्बन्धी व्यय से, मंहगाई भत्ता वेतन में मिलाये जाने से और वित्त आयोग की सिफारिशों से होनी है । ये सब बातें संविदागत दायित्व या पहले किये जा चुके फैसलों की कोटि में आती हैं । रक्षा-सम्बन्धी व्यय में होने वाली 59 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—वेतनों और पेंशनों में होने वाली सामान्य वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना, रक्षा-मन्त्रालय के अधिकार में स्थित उत्पादन-एककों में लगायी जाने वाली अतिरिक्त सामान्य शेयर पूंजी और पहले की गयी संविदाओं के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक सामान्य की प्राप्ति ।

22. मुझे अब शायद इस बात की भी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि अगले वर्ष घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी की जा सकती है । घाटे की वित्त-व्यवस्था का परिमाण बजट की आवश्यकताओं के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता । उसका निर्धारण उत्पादन की सम्भाव्य वृद्धि को और लोगों की बचत करने की आदत को देखते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर करना पड़ता है । हर बात का विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि अगले वर्ष बजट सम्बन्धी घाटा मोटे तौर पर उतना ही रखा जाये जितना इस वर्ष रखा गया तो मूल्यों को स्थिर रखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में सम्भवत: अधिक से अधिक तालमेल बैठेगा ।

23. इसी भूमिका के आधार पर मैं अब अगले वर्ष के लिए साधन एकत्र करने के अपने प्रस्ताव पेश करता हूं । ये प्रस्ताव तैयार करने में मैंने आयोजना-परिव्यय का कोई वांछित स्तर पहले निश्चित करने और तब आवश्यक साधन जुटाने का आसान तरीका नहीं अपनाया है । कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनसे

अधिक साधन, अर्थव्यवस्था का काम बिगाड़े बिना, थोड़ी अवधि में नहीं जुटाये जा सकते । वार्षिक बजट में किसी वर्ष की आवश्यकताओं का ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं का भी, समान रूप से, विचार करना पड़ता है । अन्य शब्दों में, जो तरीका अपनाना आवश्यक है वह यह है कि सरकार में—बल्कि सामान्य अर्थव्यवस्था में—क्रमशः बढ़ते हुए विकास-व्यय का बोझ बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करने के लिए करों के ढांचे में जो परिवर्तन करना आवश्यक और व्यवहार्य हों वे किये जायें और इस प्रकार कुल जितने साधन प्राप्त हो सकें उनकी सीमा के अन्दर छोटी अवधि के लिए व्यय के प्रस्ताव किये जायें ।

24. माननीय सदस्य अब यह जानने के लिए स्वभावतः उत्सुक होंगे कि मैं अपनी ही कसौटियों पर कितना खरा उतरता हूं । मैं आशा करता हूं कि वे मेरे बारे में अपनी राय कायम करते हुए मेरे प्रति वही उदारता का भाव रखेंगे जो वित्त-मंत्रियों के प्रति आमतौर पर रखा जाता है तथा मुझे उससे केवल इस कारण वंचित नहीं करेंगे कि इस सभा में अपनी ही कसौटियों पर कसे जाने की यह कठिन स्थिति मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है ।

25. स्थूल रूप से मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों के ये उद्देश्य हैं:—

(क) जहां तक जरूरी समझा जाये, खासकर निर्यात, बचत और मूल उद्योग-धन्धों के आधुनिकरण के काम में प्रोत्साहन देना;

(ख) असंगतियों को दूर करना;

(ग) कर-प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाने की ओर व्यवस्था करना;

(घ) करों से बचने और आमदनी छिपाकर या और किसी तरह से कर न देने के रास्ते बन्द करना;

(ङ) जिन वस्तुओं या जिन आमदनियों पर अब तक कर नहीं लगाया गया है या बहुत कम कर लगाया गया है उन वस्तुओं की खपत की आवश्यकता या उन आमदनियों से कर देने की क्षमता का विचार करके उन पर कर लगाकर कर-भार को अधिक समान रूप से फैलाना;

(च) सामान्यतः कर प्रणाली को आर्थिक विकास के हित में अधिक अनुकूल बनाना

इससे पहले कि माननीय सदस्य यह सोचें कि मैं अब उनके लिए भोजन परसने ही वाला हूं मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके लिए समय-समय पर क्षुधावर्धक चीजें लाता रहूंगा । मैं यहां मुख्य मुख्य चीजें ही पेश करूंगा । छोटी-छोटी चीजें व्याख्यात्मक ज्ञापन से ली जा सकती हैं ।

सीमा शुल्क

26. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूपी देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं उसके आगे नैवेद्य के रूप में निर्यात-शुल्क संबंधी रियायतें रखना चाहता हूं । मैं जूट हेसियन के निर्यात-शुल्क को 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 200 रुपया प्रति मेट्रिक टन करना चाहता हूं । मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जूट के टाट (जूट सैकिंग) का निर्यात-शुल्क 250 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाय तथा वूल सैक और काटन बेंगिंग का निर्यात-शुल्क हटा दिया जाये । चाय का निर्यात-शुल्क घटा कर 20 प्रतिशत प्रति किलोग्राम से 15 प्रतिशत प्रति किलोग्राम किया जा रहा है और उस पर दी जाने वाली छूट बढ़ा कर 35 पैसे प्रति किलोग्राम से 55 पैसे प्रति किलोग्राम की

जा रही है । चरबी रहित कच्चे ऊन पर और धातु के डिब्बों में बन्द चाय पर लगा हुआ निर्यात-शुल्क भी हटाया जा रहा है और दूसर प्रकार के डिब्बों में बन्द चाय का निर्यात-शुल्क 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जा रहा है । जो अबरक छोटे खुले टुकड़ों के रूप में होता है उसका निर्यात-शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है । निर्यात-शुल्क में की जाने वाली इन कमियों से राजस्व में प्रतिवर्ष 23 करोड़ रुपये की कमी होगी ।

27. हम शौकीनी की सभी चीजों पर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क लगाते हैं । विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटरगाड़ियों पर 60 प्रतिशत आयात शुल्क है । मेरा प्रस्ताव है कि विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटरगाड़ियों के आयात-शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करके हैसियत की निशानी के रूप में उनका मूल्य बढ़ा दिया जाये । जहां तक सुखाये हुए फलों का सम्बन्ध है, आयात-शुल्क निर्धारित करने के लि; किया जाने वाला उनका मूल्यांकन अवास्तविक है । मैं चाहता हूं कि उनके मूल्यांकन के लिए अधिक वास्तविक आधार अपनाया जाय जिसके परिणाम-स्वरूप शुल्क की वसूली बढ़ जायेगी । लुब्रिकेटिंग तेलों का आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत से 27½ प्रतिशत किया जा रहा है ताकि यह मशीनों के आयात-शुल्क के बराबर हो जाए, जिनमें ये तेल इस्तेमाल किये जाते हैं, और देश में इस प्रकार के तेलों का उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिले । इन परिवर्तनों से 6.2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा ।

28. जब किसी वस्तु पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है तब हम उस पर प्रतिसन्तुलनकारी (काउन्टरवेलिंग) आयात-शुल्क लगाते हैं । हमें उत्पादन-शुल्क वाली किसी वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल और संघटक भागों पर उत्पादन-शुल्क के बदले प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने का अधिकार है । पर जब वस्तु पर ही उत्पादन-शुल्क न लगा हो तब हमें ऐसा अधिकार नहीं है । मैं इस त्रुटि को दूर करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं ताकि विदेशों से मंगायी जाने वाली चीजें देश में बनाने के लिए बढ़ावा मिले । बेयरिंग, जहाजों के सामान और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या हवाई जहाज द्वारा बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों जैसे कुछ मामलों में, उपयोग के अनुसार दरें या वर्गीकरण बहुत ज्यादा होने के कारण, बेमतलब की देर और परेशानी होती है । मैं इस कठिनाई को भी दूर करना चाहता हूं ।

उत्पादन शुल्क

29. उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में अब सामान्यतः यह माना जाता है कि मूल्यानुसार शुल्क परिमाण-शुल्कों से अधिक युक्तिसंगत हैं क्योंकि परिमाण-शुल्कों का भार, जब मूल्य बढ़ते हैं तब घटता है और जब मूल्य घटते हैं तब बढ़ता है । मूल्यानुसार शुल्क लागत और कीमत घटाने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सीमेन्ट, वनास्पति, बिजली के पंखों, बिजली के लट्टुओं और ट्यूबों, साबुन, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और सोडियम सिलिकेट पर लगे हुए वर्तमान परिमाण-शुल्कों को मूल्यानुसार शुल्कों में बदल दिया जाए। पुनर्कीकन (राउंडिंग) की आवश्यकता के बावजूद मैंने ऐसा करके राजकोष के लिए काफी रकमें प्राप्त करने के लोभ का संवरण किया है ।

30. पर प्रत्येक नियम का अपवाद होता है । इस नियम को सिद्ध करने के लिए अपवाद निश्चित करने में एक विशेष परिस्थिति से मुझे सहायता मिली है । इस समय, नियन्त्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी की एक कीमत है और खुले बाजार में मिलने वाली चीनी की और कीमत है । यह स्पष्ट है कि जब चीनी के वर्तमान परिमाण-शुल्क को मूल्यानसार शुल्क में बदल दिया जायेगा तब शुल्क की दो दरें हो जायेंगी । इन दो दरों में से एक दर चुनने में मैंने नियन्त्रित मूल्य पर दी जाने वाली

चीनी की कुछ तरफदारी की है जिस पर लगे हुए वर्तमान बुनियादी और अतिरिक्त शुल्कों की मूल्यानुसार दर औसतन लगभग 23 प्रतिशत निकलती है। मैंने यह दर सभी दानेदार चीनी पर लगायी है। इस प्रकार, नियन्त्रित चीनी की औसत कीमत में कोई फेरबदल नहीं होगा और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी कीमत में बहुत थोड़े परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार, खांडसारी पर 12.5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर लगायी जा रही है और वर्तमान संयुक्त (कंपांउंडिंग) दरों में उपयुक्त फेरबदल किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि जिस मूल्यानुसार दर से नियन्त्रित चीनी पर शुल्क लगाने का विचार है उसी दर से खुले बाजार में मिलने वाली चीनी पर शुल्क लगाये जाने पर माननीय सदस्य सिर्फ इस कारण आपत्ति नहीं करेंगे कि इससे प्रसंगवश 27·45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

31. मेरा प्रस्ताव है कि घरों में इस्तेमाल किये जाने वाले बिजली के उल्लिखित उपकरणों पर और परिरक्षित (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों पर 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष क्राउन कार्कों पर (बोतलों आदि का मुंह बन्द करने के कार्गों पर) 1 पैसा प्रति कार्क शुल्क लगाया गया था। अब मेरा यह प्रस्ताव है कि यह शुल्क बोतलों और पात्रों का मुंह बन्द करने के अन्य प्रकार के ढक्कनों पर भी लगा दिया जाय। बिजली के उपकरणों, परिरक्षित खाद्य पदार्थों और चौर्यरक्षित (पिल्फर प्रूफ) ढक्कनों पर लगाये जाने वाले इन उत्पादन-शुल्कों से 4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

32. माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों को कृषि तथा अनुसन्धान, सिंचाई की सुविधाओं और रासायनिक खाद के कारखानों में किये गये हमारे बड़े बड़े निवेशों, गांवों में लगायी गयी बिजली, ऋण-सुविधाओं और मूल्यों को गिरने से रोकने की हमारी नीति से लाभ होता है उन्हें अपने लाभ का कुछ हिस्सा ग्राम विकास के खर्च के लिए दे देना चाहिये। यह इस कारण और भी अधिक आवश्यक है कि अभी हमारे अधिकतर किसानों को, खासकर सूखे प्रदेशों में, जहां रासायनिक खाद और नये बीज इस्तेमाल करना आसान नहीं है, समुन्नत उद्योग तथा विद्या (टेक्नालाजी) का लाभ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार, शक्ति-चालित पम्पों से पानी को ऊपर चढ़ा कर सिंचाई करने की सुविधाओं का विस्तार सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ है। यदि नयी कृषि उद्योग-विद्या का लाभ क्रमशः हमारे अधिकाधिक किसानों को पहुंचाना है, तो इस काम के लिए आवश्यक साधन इस काम से लाभ उठाने वालों से, कम से कम अंशतः, प्राप्त होने चाहियें। इस आधार पर मेरा यह प्रस्ताव है कि रासायनिक खादों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार पादन-शुल्क और शक्ति-चालित पंपों पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। इन शुल्कों से 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 22 करोड़ रुपया रासायनिक खाद के शुल्क से मिलेगा।

33. अब मुझे फिर क्षुधावर्धक वस्तुएं पेश करनी चाहियें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिये यह कठिनाई का समय है। इसलिये उत्पादन-शुल्क में कुछ राहत देना जरूरी है। सादी सीधी रीलों की लच्छियों के रूप में होने वाले सूत पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ सूत्रांकों (काउण्ट) के सम्बन्ध में हटा दिया जा रहा है और कुछ अन्य सूत्रांकों के सम्बन्ध में घटाया जा रहा है। इस से हथकरघा क्षेत्र को लाभ होना चाहिये। बिजली के करघे के क्षेत्र को, कलफ लगाने पर लगा हुआ भिन्नक शुल्क (डिफरेंशल ड्यूटी) हटा दिये जाने से लाभ होगा, यद्यपि कुछ सूत्रांकों के, बिना कलफ के बारीक (फाइन) और बहुत बारीक (सुपरफाइन) सूत का उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि धूसर (ग्रे) कपड़े पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाए और परिष्करण (प्रोसेसिंग) सम्बन्धी अधिभार मीडियम ए और अनियंत्रित मीडियम बी की सभी किस्मों के कपड़े और मोटी किस्मों के कपड़े पर प्रति वर्ग मीटर पांच पैसे घटा दिया जाय। इस राहत से सूती कपड़े की कमजोर मिलों को बहुत लाभ होगा। कुल प्रस्तावित राहत की रकम 15·30 करोड़ रुपया होगी।

34. पर इस हानि में से 9·5 करोड़ रुपये की पूर्ति नियंत्रित किस्मों के छपे कपड़े को छोड़ बहुत बारीक तथा बारीक किस्म के छपे कपड़े पर 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर और दूसरी सब किस्मों के छपे कपड़े पर 2·5 पैसे प्रति वर्ग मीटर का और ऊंचा शुल्क लगाकर तथा ज्यादा कीमती किस्मों के कपड़ों, जैसे 'सूट', के कपड़ों, परदे और सजावट के कपड़ों, टर्किश तौलियों और दूसरे कपड़ों पर जिन पर इस समय उनकी कीमत को देखते हुए शुल्क का भार कम है, छंटाई के आधार पर 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाकर, की जायगी। इसके अलावा, बिजली के करघों के कपड़ों पर लगे हुए वर्तमान संयुक्त (कम्पाउण्डेड) शुल्क को दुगना करने और कपड़े के टुकड़ों (फेंट) पर लग हुए शुल्कों को युक्ति-संगत करने का भी मेरा विचार है।

35. नीचे के 'डेनियरों' क नाइलन के धाग पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है और इससे होने वाली हानि की कुछ पूर्ति कतिपय ऊंचे 'डेनियरों' के नाइलन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ बढ़ाकर की जायगी। इस घट-बढ़ का परिणाम यह होगा कि राजस्व 3·9 करोड़ रुपया कम हो जायगा। इस रियायत से नाइलन के धागे का चोरी से देश में लाया जाना बंद करने में सहायता मिलेगी। नाइलन के धागे का चोरी से लाया जाना बड़ी चिंता का विषय हो गया है।

36. 'कनफेक्शनरी' पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाकर 80 पैसे प्रति किलोग्राम से 30 पैसे प्रति किलोग्राम किया जा रहा है, पर चाकलेटों पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क नहीं घटाया जा रहा है। रेडियो-निर्माताओं द्वारा संघटकों के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले इलैक्ट्रानिक वाल्वों, ट्रान्जिस्टरों और सेमी कण्डक्टर डायोडों पर लगा हुआ शुल्क घटाकर आधा कर दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के बड़े-बड़े निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले कम कीमत वाले रेडियो-सेटों पर 10 रुपया प्रति सेट शुल्क लगेगा। बिजली की भट्टियों के मालिकों द्वारा रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों और अन्य चीजों के सम्बन्ध में, डलों पर लगे हुए उत्पादन-शुल्क की सीमा तक, छूट देने का मेरा विचार है। कसीदे पर लगाया गया उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है क्योंकि उसका भार बहुत अधिक साबित हो रहा है। मैं अच्छे आधार पर इस विषय में आश्वस्त हूं कि सिनेमा की अस्त-व्यस्त दुनियां में अधिकतम निपुणता उन लोगों को प्राप्त है जो काले और सफेद का विचार करने के अभ्यस्त हैं। इसलिये काली और सफेद सिनेमा फिल्मों को कुछ राहत देना चाहता हूं और रंगीन फिल्मों का शुल्क-भार बढ़ाना चाहता हूं। कच्ची सिनेमा फिल्मों पर भी दो पैसे प्रति मीटर का नाममात्र शुल्क लगाना चाहता हूं। कनफेक्शनरी, रेडियो क संघटक भागों, रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों, कसीदे और सिनेमा फिल्मों के सम्बन्ध में दी गई कई प्रकार की रियायतों का परिणाम कुल मिला कर यह होगा कि राजस्व 3·13 करोड़ रुपया कम हो जायगा।

37. अब फिर अधिक परिचित चीजों की चर्चा करता हूं। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब सर्वत्र और बहुत समय से अप्रत्यक्ष कर का बोझ ईमानदारी से उठाने वाली चीजों में से कुछ को, जैसे सिगरेटों और मोटर स्प्रिटों को उन पर प्रति वर्ष लादे जाने वाले बोझ से मुक्त किया जाना चाहिये। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि शुल्क यथेष्ट रूप से बढ़ाये जायें। मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि मैंने अपने पिछले दो बजटों में इस सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई नहीं की। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि मोटर स्प्रिट पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 7 पैसे प्रति लिटर बढ़ा दिया जाय और सिगरेटों पर लगे हुए उत्पादन-शुल्क में, विभिन्न मूल्य खण्डों में, मूल्यानुसार 6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाय। इससे 29·84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल, मोटर के ईंधन-तेल में अधिक मिश्रण मिलाया जा रहा है। इस लिये उस का उत्पादन शुल्क भी 4 पैसा प्रति लिटर बढ़ाया जा रहा है। इससे 14·40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

38. जट की बनी चीजों पर लगा हुआ बुनियादी उत्पादन–शुल्क 100 रुपया प्रति मेट्रिक टन बढ़ाया जा रहा है। इस से 4·95 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। सेल्यूलोजी रेशे (स्टेपुल फाइबर) पर लगा हुआ उत्पादन–शुल्क 20 पैसा प्रति किलोग्राम और गैर-सेल्यूलोजी रेशे पर लगा हुआ उत्पादन–शुल्क 12 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ाया जा रहा है। रयन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क औद्योगिक डेनियरों को छोड़ अन्य सभी डेनियरों में वर्तमान दरों का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और रेयन के धागे के बड़े उत्पादकों की तुलना में छोटे उत्पादकों को शुल्क की दरों में जो रियायत मिलती है वह भी घटायी जा रही है। कृत्रिम रेशों और धागे के संबंध में किये गये इन प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 9·37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ऊन के धागे के शुल्क को वहां से हटाकर ऊन की पूनियों पर लगा देने का भी मेरा इरादा है; प्रारम्भ में मैं ऊन की पूनियों पर थोड़ा–सा शुल्क लगा रहा हूं जिससे 6 लाख रुपया प्राप्त होगा।

39. उत्पादन–शुल्कों के संबंध में किये गये सब प्रस्तावों और कुछ छोटी-मोटी विविध बातों का सम्मिलित परिणाम यह होगा कि पूरे वर्ष में 104·57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 79·95 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा और 24·62 करोड़ रुपया राज्यों का हिस्सा होगा। उत्पादन–शुल्कों के संबंध में किये गये प्रस्तावों के परिणाम–स्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क से, मुख्यतः रासायनिक खाद के आयात पर लगे हुए प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से 26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

40. निर्धारिती द्वारा उत्पादन–शुल्क की रकम स्वयं हिसाब लगा कर निकाले जाने और माल हटाये जाने की जो योजना जून 1968 से जारी की गयी है वह अच्छी तरह अमल में आयी है और मैं उसे यथासंभव शीघ्र से शीघ्र उत्पादन-शुल्क वाली अधिकतर वस्तुओं पर लागू करना चाहता हूं।

प्रत्यक्ष कराधान

41. निगम कराधान के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि नये औद्योगिक उपक्रमों और जहाजों को दी गई कर–अवकाश सम्बन्धी रियायत (टेक्स हालिडे कंसेशन) की अवधि, 1 अप्रैल 1971 से 31 मार्च 1976 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिये बढ़ा दी जाय। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि विकास छूट सम्बन्धी सुपरिचित साधन को समाप्त करने या उसके स्थान पर कोई दूसरा नया साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिये विकास छूट सम्बन्धी रियायत दिया जाना जारी रहेगा, पर 31 मार्च 1970 से बाद लगायी जाने वाली मशीनों और संयंत्रों के सम्बन्ध में विकास छूट, कानून में पहले से निर्धारित की गयी कम दरों पर दी जायगी। बहुजनधारित देशी कम्पनी द्वारा अर्थात्—जिस देशी कम्पनी के शेयर अधिक लोगों के पास हों उसके द्वारा देय कुल निगमकर की अधिकतम सीमा, जो कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में उस कम्पनी की कुल आय का 70 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, अब अर्थहीन हो गयी है। पर लोगों को उससे गलतफहमी होती है जैसे यह अप्रभावी सीमा भी कोई प्रचलित दर हो। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सीमा अब समाप्त कर दी जाय। अब वे पब्लिक कम्पनियां जिनके शेयर मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों की सूचियों में दर्ज हों, बहुजनधारित कम्पनियां मानी जायंगी।

42. विदेशों से नयी उद्योग–विद्या बार-बार प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा कमी करने और वस्तुतः देश में तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि उन भारतीय कम्पनियों की आय पर, जो ऐसे ज्ञान को बेचकर या उसके द्वारा सेवा करके कमाई करती है, रियायती आधार पर कर लगाया जाय। हमारे देश के दो महत्वपूर्ण निर्यात-सहायक

उद्योगों अर्थात्—सूती और जट वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने में प्रोत्साहन देने के लिये मैं इन दोनों उद्योगों को विकास छूट देने के उद्देश्य से प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

43. आयकर अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिये एक विस्तृत विधेयक संसद के इस अधिवेशन में, बाद में, पेश करने का मेरा विचार है। इस विधेयक में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जिन भारतीय कम्पनियों को इस समय मूल्यह्रास सम्बन्धी छूटें तथा अन्य छूटें पाने का अधिकार नहीं है उनके द्वारा प्रोत्साहन, प्रायोजना रिपोर्ट, मंडियों की खोज आदि के लिये किया गया व्यय, 10 वर्ष की अवधि में, उनकी कर-योग्य आमदनी में से घटा दिया जाय। इस प्रकार घटायी जाने वाली रकम प्रायोजना की लागत के 2½ प्रतिशत भाग तक सीमित होगी। मूल्यह्रास के लिये विभिन्न प्रकार की मशीनों के वर्गीकरण करने का तरीका काफी सरल बनाया जा रहा है और मशीनों तथा संयंत्रों के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की सामान्य दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा रही है।

44. व्यक्तिगत आयकर की दरों में क्रमिक वृद्धि करने के उद्देश्य से 10,001 रुपये से 15,000 रुपये तक की आमदनियों के कर की दर में 2 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि करने अर्थात् उसे 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 17 प्रतिशत करने और 15,001 रुपये से 20,000 रुपये तक की आमदनियों के कर की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने अर्थात् उसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है, इन वृद्धियों का पूरा प्रभाव उन कर-दाताओं पर पड़ेगा जिनकी आय प्रतिवर्ष 20,000 रुपया या उससे अधिक होगी। बुनियादी आयकर के 10 प्रतिशत के अधिभार (सरचार्ज) को मिलाने पर इस प्रकार के प्रत्येक मामले में अतिरिक्त कर की रकम 275 रुपया प्रतिवर्ष होगी। आयकर की दरों में किये गये इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 13·82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

45. सहकारी समितियों पर लगाये जाने वाले करों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का मेरा प्रस्ताव है। रजिस्टर्ड फर्मों के सम्बन्ध में 10,001 रुपये से 25,000 रुपए तक की आमदनियों का एक और खण्ड बना कर ऐसी फर्मों पर किये जाने वाले कराधान में थोड़ी सी वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। उपर्युक्त आयखण्ड की फर्मों पर लगने वाले बुनियादी आयकर की दर 4 प्रतिशत होगी। इस परिवर्तन से पूरे वर्ष में 4·32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

46. लेखकों, कलाकारों, नाट्यकारों, गायकों और अभिनेताओं को मैं विशेष प्रसन्नता का समाचार देना चाहता हूं। उनकी व्यावसायिक आय का, जो उन्हें विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त होगी, 25 प्रतिशत भाग कर-योग्य आय में से घटा दिया जायगा। यदि मेरे इस प्रस्ताव से माननीय सदस्य यह समझें कि इसके कारण हमारी सांस्कृतिक क्षति होगी तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि सर्वोत्तम वस्तुएं निर्यात के लिए होनी हैं।

47. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वास्तविक निवेशकों में सामान्य शेयरों में धन लगाने की रुचि फिर से पैदा हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में होने वाली आय के लिए कर से छूट देने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति वर्ष करने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लागयी जाने वाली पूंजी यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में लगायी जाने वाली पूंजी के बराबर हो जायगी। जीवन बीमा की किस्तों के सम्बन्ध में इस समय कर में दी जाने वाली राहत का क्षेत्र बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

48. कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति पर अभी तक सम्पत्ति कर नहीं लगता । इस सुविधा से अधिक धनी व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्गों को जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है । माना कि इससे कभी कभी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है परन्तु सामान्य अर्थ-व्यवस्था में यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि अन्य उत्पादनकारी सम्पत्ति पर तो कर लगाया जाय पर कृषि भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति को कर से छूट दी जाय । महान्यायवादी ने मुझे परामर्श दिया है कि संसद को कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है । तदानुसार सम्पत्ति कर अधिनियम में कृषि-भूमि के मूल्य पर, जिसमें उस भूमि पर या उसके पास स्थित इमारतों का मूल्य शामिल है, सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है । लेकिन खड़ी फसलों, औजारों, और ट्रैक्टर जैसे उपकरणों पर कोई कर नहीं लगाया जायगा निर्धारण वर्ष 1970–71 से प्रचलित दरों पर कर-निर्धारण के लिए कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति दूसरी सम्पत्ति में जोड़ दी जायगी । इस तरीके से पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । लेकिन, मैंने अभी जो कहा है, उसके कारण, आगामी वर्ष में राजस्व सम्बन्धी कोई लाभ नहीं होगा । कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर लगाये जाने से होने वाली वास्तविक राजस्व-प्राप्तियां राज्यों को सहायक अनुदानों के रूप में दे देने का मेरा विचार है । फिर भी इस उपाय के प्रभाव से वास्तविक किसानों को मुक्त रखने के तरीके पर मैं विचार करूंगा और वित्त विधेयक में उपयुक्त समय पर आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव करूंगा ।

49. अग्रिम कर अदायगी योजना को अधिक प्रभावकारी और छोटे छोटे आयकर-दाताओं पर अदायगी का भार कम करने के लिए भी मैं उक्त योजना में कई परिवर्तन करने के प्रस्ताव कर रहा हूं । सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन वास्तविक सम्पत्ति का विवरण न देने और हिसाब-किताब, कागजात आदि पेश न करने के लिए किये जाने वाले जुर्मानों में कुछ परिवर्तन करने का भी मैं प्रस्ताव कर रहा हूं । एक और प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य कारबार के खर्च के लिए अदायगियां करने में बैंकों का अधिक इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था को ठीक ठीक चलाने का पक्का प्रबन्ध करना है ।

50. माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी/पति तथा छोटे बच्चों के नाम अन्तरित करके अपनी आय पर कर लगाये जाने से बच नहीं सकता । फिर भी, अलग एकक के रूप में हिन्दू अविभक्त परिवार पर कर लगाने के लिए बनाये गये विशेष कानूनों का इस्तेमाल कर के अक्सर इससे बचा जा सकता है । संशोधन विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध करके कर न देने के इस रास्ते को बन्द करने का मेरा विचार है ।

51. मैंने प्रत्यक्ष कराधान में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है उनसे अगले वर्ष कुल मिलाकर केन्द्र को 11 करोड़ रुपये और राज्यों को 2.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो गा

डाक और तार

52. डाक और तार विभाग को अगले वर्ष भी घाटा होगा । इसलिए स्थूल रूप से शुल्क दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर टेलीफोनों और तारों की कुछ शुल्क दरों में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से संशोधन करने का विचार है । बजट पत्रों के साथ एक ज्ञापन भी परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्योरा दिया गया है । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार बड़े शहरों में तथा दूसरे टेलीफोन केन्द्रों के लिए टेलीफोन का किराया बढ़ाया जायगा । डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा पर, जो अब तक निःशुल्क थी, अब शुल्क लगाया जायगा । विशेष व्यक्ति (पी० पी०) ट्रंक कालों और निर्धारित समय के ट्रंक कालों के लिए अतिरिक्त शुल्क अब समान रूप से

बुनियादी शुल्क का 50 प्रतिशत होगा। बधाई के तारों, बहु-पता तारों और टैलेक्स तथा कुछ और सेवाओं के शुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 6·46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है और यह रकम प्रत्याशित राजस्व घाटे की रकम को पूरा करने के लिए काफी होगी। इन परिवर्तनों के प्रभाव को सरकारी उपक्रमों के कुल आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिया गया है।

सारांश

53. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मैंने करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये हैं उनसे अगले वर्ष केन्द्र को लग भग 100 करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से 11 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से, 80 करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों से और निर्यात-शुल्कों में होने वाली 23 करोड़ रुपए की कमी को हिसाब में लेने के बाद, 9 करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों से मिलेगा। इसके अलावा, 27 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।

54. अब मैं संक्षेप में साधनों के सम्बन्ध में केन्द्र की अगले वर्ष की स्थिति बताना चाहता हूं। कर-सम्बन्धी अतिरिक्त प्रस्तावों को हिसाब में लेने के बाद कुल राजस्व अनुमानतः 3,519 करोड़ रुपया होगा जिस में से 519 करोड़ रुपया राज्यों को और 3,000 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा। राजस्व खाते का आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय, जिस में राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान, ब्याज-प्रभार, और रक्षा-सम्बन्धी व्यय शामिल है, 2,558 करोड़ रुपया आंका गया है। इस प्रकार आयोजना से भिन्न राजस्व-अधिशेष 442 करोड़ रुपया रहेगा। अनुमान है कि चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम घटाने के बाद, बाजार-ऋणों और विदेशी ऋणों से अगले वर्ष क्रमशः 106 करोड़ रुपए और 691 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी। विविध ऋण जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद और आयोजना से भिन्न पूंजीगत व्यय और ऋणों के लिए —जिनमें संकट के समय काम आने वाले अन्न भण्डार के लिये निर्धारित की जाने वाली रकम और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की नकदी हानियां शामिल हैं— व्यवस्था करने के बाद, पूंजी खाते में 1,046 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। इस प्रकार, केन्द्र के बजट में आयोजना के लिए 1,738 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होंगे जिनमें घाटे की वित्त व्यवस्था का 250 करोड़ रुपया शामिल है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनमें रेलें और डाक-तार शामिल हैं, अपने साधनों में से आयोजना के लिए अनुमानतः 165 करोड़ रुपया जुटायेंगे। इस प्रकार, राज्यों के साधनों को छोड़ देने पर, अगले वर्ष आयोजना के लिए कुल 1903 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध होगी। इसमें से 615 करोड़ रुपया राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए और 65 करोड़ रुपया संघीय राज्य-क्षेत्रों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए रखा गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय आयोजना के लिए, जिसमें केन्द्र प्रवर्तित (सेण्ट्रली स्पानसर्ड) योजनाएं शामिल हैं, 1223 करोड़ रुपया रहेगा।

55. अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए कुल 1738 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिस में से 402 करोड़ रुपया राजस्व-बजट में और 1336 करोड़ रुपया पूंजी बजट में है। राजस्व-खाते में की गयी व्यवस्था में राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए दिय जाने वाले सहायक अनुदानों के रूप में 185 करोड़ रुपये की रकम है। यह रकम अगले वर्ष से दी जाने वाली कुल आयोजना सहायता का 30 प्रतिशत भाग है जबकि इस समय दिये जाने वाले इन अनुदानों की रकम औसतन कुल आयोजना सहायता के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती है। राजस्व-बजट में आयोजना के लिए की गयी व्यवस्था का शेष भाग संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना और केन्द्रीय आयोजना के लिए है। केन्द्र-प्रवर्तित योजनाओं के लिए राजस्व खाते और पूंजी खाते दोनों में कुल मिलाकर 117 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

56. अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात के उत्पादन, बन्दरगाहों, पेट्रो-रासायनिक पदार्थों के लिए, रासायनिक खाद के कारखानों, लोहे के निर्यात के लिए, खानों के विकास और तांबे तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में की गयी व्यवस्था के मुकाबले अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। मुख्य रूप से परिव्यय में वृद्धि होना इस बात का सूचक है कि चालू योजनाओं का काम अधिक तेजी से किया जा रहा है। तब भी इससे निर्माण-कार्य में लगे उद्योगों, खासकर इंजीनियरी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्न रखने के लिये भण्डार बनाने का कार्यक्रम भी तेजी से चलाने का विचार है। किसानों को ऋण देने, खासकर रासायनिक खाद के वितरण और गांवों में बिजली लगाने के संस्थागत प्रबन्ध को, बजट में उस के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करके, सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवार-नियोजन के लिए पहले से अधिक परिव्यय किया जायगा।

57. महोदय, मैं इस बात पर चाहे जितना जोर दूं वह कम ही होगा कि मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर और अगले वर्ष किये जाने वाले आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में की जाने वाली कुछ वृद्धि पर इस पृष्ठभूमि से विचार किया जाना चाहिये कि हमारे साधनों पर बहुत अधिक बोझ है। पिछले कुछ वर्षों से राजस्व खाते के अधिशेष में कमी होती रही है। अगले वर्ष केन्द्र के बजट में, करों की वर्तमान दरों के अनुसार, राजस्व 60 करोड़ रुपये की कमी आंकी गयी है। अतिरिक्त प्रस्तावित कर लगाये जाने पर भी, यह कमी केवल 40 करोड़ रुपये के अधिशेष में परिवर्तित होगी। पूंजी खाते में स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई केवल इस कारण नहीं दिखाई देती कि इस वर्ष होने वाला कुछ आयात अगले वर्ष होने से अन्न-सहायता का स्तर ऊंचा बनाये रखा गया है। ज्यों ज्यों अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी त्यों त्यों यह साधन क्रमशः घटता जायगा और यदि विकास सम्बन्धी परिव्यय अनुचित रूप से कम नहीं किया जाना है, तो साधन जुटाने के अन्य उपाय निकालने पड़ेंगे। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाये रखते हुए और स्वावलम्बन बढ़ाते हुए विकास का व्यापक लक्ष्य केवल बजट सम्बन्धी नीति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के प्रत्येक क्षेत्र का सुव्यवस्थित सहयोग आवश्यक है। केवल इस प्रकार हम इस महान् राष्ट्र को जनसाधारण की गरीबी को मिटा देने के उस प्रयत्न के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं जो उतना ही फलदायक है जितना कठिन है। मैं इतनी ही आशा कर सकता हूं कि जो बजट पेश करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है वह इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सहायता प्रदान करेगा।

धन्यवाद।

Budget 1969-70

Speech of Deputy Prime Minister and Minister of Finance 28th February, 1969

Sir,

I rise to present the first Budget of the Fourth Plan period. In doing so, I feel somewhat handicapped as the Plan document is not yet available to Honourable Members. I am, therefore, left to perform the traditional role of a Sutradhar

who must make a brief appearance on the stage before the start of the play to arouse the interest of the audience. I hope I will not disappoint Honourable Members at least on the score of brevity.

Introduction

2. The year that is now drawing to a close has been a good one for the Indian economy. The expectation in my last Budget speech that, given the right policies, 1968-69 could become a year of revival has been largely fulfilled. For the second year in succession, it should be possible to reap a satisfactory harvest. There are distinct signs of an industrial revival and industrial production should register an increase of almost 6 per cent. Transport activity and trade have revived; and there have been no serious shortages of powder or raw materials. The general price level now is somewhat lower than last year. There has been a remarkable increase in exports. Imports are now being replaced by domestic production over a wide front as a result of the efforts made over successive Plan periods. Despite heavier repayment obligations and somewhat lower utilization of foreign aid than in 1967-68, it should be possible to close the current year without any material variation in our foreign exchange reserves. Against this background of a new dynamism in agriculture, industrial revival, restoration of price stability and progress towards self-reliance, it is possible now to approach the next Plan period with a measure of confidence. All the same, there are a number of factors which limit considerably the area of choice before us in the immediate future.

3. While food production has increased, we have still a long way to go before we can assure satisfactory levels of consumption for our growing population. Imports of agricultural raw materials and foodgrains are still sizeable. Investments in agriculture, including those in research, inputs such as fertilizers and water and provision of credit and storage facilities must, therefore, have a prior claim on our limited resources matched only by the attention to family planning.

4. The substantial development of capital goods industries that has already taken place makes it necessary as well as feasible to step up investment outlays. But rising levels of investment can be achieved without inflation only on the basis of a growing volume of production of essential consumer goods. This requires not only a steady improvement in agricultural productivity but also greater efficiency and expansion of capacity in consumer goods industries. Attention to these industries is all the more important as they help stimulate the motivation for higher productivity and contribute to growth of public revenues.

5. In a year that is dedicated to the memory of the Father of the Nation, we cannot but remind ourselves that the ultimate objective of economic development is to serve certain larger social values. We have, therefore, to respond also to the natural urge of our people for basic amenities, such as drinking water, for education and medical aid, for opportunity to work and indeed for a growing measure of equality in general which is the essence of a socialist society.

6. On the external front, the improvement has been as notable as it is welcome; yet export earnings amount only to two-thirds of our current import requirements. There cannot, therefore, be any complacency in regard to export promotion or import substitution. The abnormal circumstances of 1965-66 and 1966-67 have led to a decline in the rate of saving in the economy. Despite substantial efforts to mobilize resources and considerable restraint on expenditure, the financial position of the Government has weakened over the past few years.

7. In short, general economic conditions in the country are propitious for resuming the threads of progress over a wide front during the next Plan period. Equally, however, there is need for the right balance between consumption and investment, resources and outlays, economic growth on the one hand and external viability on the other and indeed between larger social values and purely economic considerations. Honourable Members will now appreciate why economic planners are often regarded as some of the finest exponents of the art of tight-rope dancing.

Revised Estimates—1968-69.

8. Having outlined briefly the current economic situation and the tasks ahead without, I hope, stealing the show from the Planning Commission, I must now turn to the more mundane matters which fall to the lot of Finance Ministers. In the Revised Estimates for 1968-69, customs revenue will show a shortfall of Rs. 94 crores as compared to the Estimates presented last February. Union excise duties and income-tax, on the other hand, are expected to yield Rs. 54 crores more. After making allowance for non-tax revenues, total revenue receipts

accruing to the Centre are likely to show a shortfall of Rs. 11 crores only as compared to the anticipated realisation of Rs. 2760 crores.

9. Revenue expenditures are likely to exceed the Budget Estimates of Rs. 2629 crores by Rs. 116 crores. Almost half of this increase, however, represents a purely accounting change which is balanced by a corresponding gain on capital account. Another Rs. 49 crores is accounted for by additional defence expenditure on revenue account. This is the result of increases granted during the year in allowances to certain categories of Service personnel, the dearness allowance which became due last September, the recent decision to merge a part of the dearness allowance with pay and speedier deliveries of stores against existing orders. On capital account, there has been a reduction in defence expenditure of Rs. 13 crores. Honourable Members would see that barring the increase under defence and transactions of a purely accounting nature, revenue expenditure has been held within less than 1 per cent margin of the Budget Estimates.

10. On capital account, the variations have been of a more substantial order. Net external assistance will show a shortfall of Rs. 121 crores and PL 480 and other food aid a shortfall of Rs. 43 crores. This would be offset to an extent by improvement under market loans, reduction in the provision for transactions in foodgrains and fertilizers and some shortfall in Plan outlays. There are also a number of variations in other items which make on balance for an improvement in the resources position.

11. In the aggregate, the budgetary deficit this year is now estimated at Rs. 260 crores as against Rs. 290 crores in the Budget Estimates. Honourable Members, I am sure, would not consider this 10 per cent variation in deficit financing as an index of conservative budgeting on my part.

Budget Estimates—1969-70

12. In the Budget Estimates for 1969-70, I have assumed that at existing rates of taxation, total revenues accruing to the Centre will increase by Rs. 151 crores I anticipate a further decline in customs receipts from Rs. 445 crores this year to Rs. 426 crores in 1969-70. This reduction is based on the expectation that while there would be some increase in total non-food imports, there would be a shift away from items such as petroleum products which bear duties at a higher rate. Union excise duties are expected to show an increase of Rs. 101 crores. Corporate and income taxes should yield Rs. 675 crores as against Rs. 660 crores this year. Non-tax revenues should also yield Rs. 50 crores more.

13. The increase in revenue will, however, be more than absorbed by increases in expenditure on revenue account. Defence expenditure on revenue account will be more by Rs. 42 crores. Excluding certain accounting adjustments, the non-Plan civil expenditure will be more by Rs. 142 crores. Of this Rs. 41 crores are accounted for by interest charges. The Fifth Finance Commission's recommendations have necessitated an additional devolution of Rs. 36 crores to the States. Committed expenditure arising out of completed Plan schemes has meant an increase of nearly Rs. 35 crores. Export promotion measures account for another increase of Rs. 10 crores. Various miscellaneous items, including administrative services, tax collection and assistance to neighbouring countries account for the rest of the increase. Detailed explanations have, as usual, been given in the Explanatory Memorandum.

14. On capital account, net market borrowings next year are estimated at Rs. 106 crores as against Rs. 81 crores this year. Small savings are placed at Rs. 135 crores i.e., Rs. 10 crores more, but of this nearly two-thirds will accrue to the States. The Public Provident Fund should yield Rs. 5 crores next year as against Rs. 2 crores this year. On the other hand, as the author of the once famous but now almost forgotten Compulsory Deposit Scheme, I propose to redeem myself by making full provision of Rs. 25 crores for the repayment of the deposits made in 1963-64.

15. Net external aid, excluding PL 480 and other food aid, should show a marginal increase from Rs. 459 crores this year to Rs. 467 crores in 1969-70. While debt repayments would be larger, we expect an increase in aid disbursements also mainly as a result of resumption of aid by the International Development Association.

16. In December 1968 we signed an agreement with the United States Government under PL 480 for the import of 2.3 million tonnes of foodgrains. In addition, we have continued to receive food assistance of a sizeable order from Canada as also some assistance under the International Grain Arrangement from Australia

and the U.K. A substantial part of the food assistance thus negotiated will result in imports only next year. Honourable Members would also appreciate that arrangements for the concessional imports of foodgrains and agricultural raw materials will be necessary for some more time. Consequently, the net budgetary support accruing as a result of PL 480 transactions and other food aid, excluding PL 480 grants already accounted for in the revenue estimates, is placed at Rs. 224 crores next year as against Rs. 226 crores this year.

17. The improvements under internal borrowing and external assistance, just mentioned, i.e., Rs. 13 crores in all, will be more than absorbed by the increase in defence expenditure on capital account, Rs. 17 crores and on border roads, Rs. 4 crores.

18. As regards other capital transactions, the food and fertilizer transactions together show an improvement of Rs. 76 crores. Total stocks of foodgrains with the Food Corporation at the end of March 1969 should be of the order of 3.5 million tonnes. During the coming year, we propose to add another 1.5 million tonnes to these stocks. It is our intention to provide budgetary resources of Rs. 25 crores in 1969-70 for this purpose. The balance of the requirements will be provided by way of accommodation to the Food Corporation from commercial banks.

19. The improvement under foodgrains and fertilizer transactions, however, will be wiped out by the increases in revenue and capital expenditure already mentioned and worsening under various miscellaneous debt-deposit heads. I have also had to provide for some relief to States by way of adjustment in the repayments to the Centre and assistance towards the non-Plan gaps of some of the States to enable them to undertake a satisfactory Plan next year. In the net, the resources available, at the existing rates of taxation and on the basis of the likely availability of internal borrowing and external assistance, leave practically no margin for increasing the provision for the Plan to be financed through the Centre's Budget next year.

20. The budgetary contribution of public sector undertakings next year is also not likely to show any significant improvement over the current year. The question of better functioning of public sector undertakings has been examined in detail by the Administrative Reforms Commission as well as by the Bureau of Public Enterprises. Government have already taken a number of decisions to improve the working of these enterprises and I am separately circulating a memorandum on this subject to Honourable Members.

21. Honourable Members may well ask whether the margin of resources available for the Plan could not have been increased by economies in non-Plan expenditure. I have given the most careful thought to this question in framing the expenditure estimates for the coming year. But Honourable Members would appreciate that a certain increase in non-Plan expenditure is inevitable as it arises from contractual obligations or decisions already taken. The transfer of completed Plan schemes to the non-Plan side, interest charges, export promotion, the incidence of dearness allowance, the merger of dearness allowance with pay and the recommendations of the Finance Commission which belong to this category account for the bulk of the increase in civil expenditure. The increase of Rs. 59 crores in defence expenditure is explained mainly by normal increases in salaries and pensions, the additional dearness allowance which became due last September, merger of dearness allowance with pay, additional equity investment in the production units under the charge of the Defence Ministry and larger deliveries against contracts already entered into.

22. I should perhaps also say a word at this stage about the scope for deficit financing next year. This scope cannot be defined in terms of the needs of the Budget. It has to be determined in relation to the needs of the economy in the light of the likely growth in production and the saving habits of the people. Taking everything into account, I have come to the conclusion that a budgetary deficit next year of roughly the same magnitude as this year is likely to reconcile best the concern for price stability and the maintenance of a climate for growth.

23. It is against this background that I come now to my proposals for resource mobilization for the coming year. In framing these proposals, however, I have not adopted the simple approach of deciding first on a certain desired level of Plan outlay and of proceeding then to raise resources on the required scale. There are limits beyond which resources cannot be raised in the short-run without impairing the functioning of the economy. Equally, the annual Budget has to take into account not only the needs of the year but the requirements of long-term

growth as well. The approach, in other words, has to be one of making such changes in the tax structure as are necessary and feasible to build up the ability of the Government—and even more important of the economy in general—to sustain progressively larger developmental outlays and of limiting the expenditure proposals in the short-run to the total resources that can be so mobilised.

24. Honourable Members would now naturally be anxious to see how well I measure up to my own standards I hope that in passing judgement, the customary indulgence towards Finance Ministers will not be denied to me merely because this predicament of being held up before my own mirror is not altogether unfamiliar to me in this Honourable House.

25. Broadly speaking, my tax proposals are intended:

(a) to provide a measure of relief where necessary, particularly in the interest of exports, savings and modernisation of key industries;

(b) to remove anomalies;

(c) to provide a further measure of rationalisation and simplification;

(d) to plug the loopholes which make for tax avoidance or evasion;

(e) to spread the burden of taxation more evenly by bringing within the tax net commodities or incomes which are hitherto not taxed or taxed lightly in relation to essentiality of consumption or capacity to pay; and

(f) generally, to make the tax system more responsive to the needs of economic growth.

Before Honourable Members conclude that I am about to serve them a rich fare, I should reassure them that I propose to bring up my appetizers at suitable intervals. I shall also concentrate on the main courses, leaving the sundries to be discovered in the Explanatory Memorandum.

Customs Duties

26. To begin with, an export offering to propitiate the gods of international competition. I propose to reduce the export duty on jute hessian from Rs. 500 per tonne to Rs. 200 per tonne. The duty on jute sacking is also proposed to be reduced from Rs. 250 per tonne to Rs. 150 per tonne, while the duty on wool sacks and cotton bagging is being completely exempted. The export duty on tea is being reduced from 20 per cent less 35 paise per kilogram to 15 per cent less 55 paise per kilogram. The duty on degreased raw wool and on package tea in metal containers is being completely exempted while the duty on package tea in other containers is being reduced from 15 per cent to 5 per cent. The export duty on mica is proposed to be reduced from 40 per cent to 20 per cent in respect of loose splittings of smaller size. The total effect of these reductions will be a loss in revenues of Rs. 23 crores per year.

27. Generally, we levy an import duty of 100 per cent *ad valorem* on all items of luxury. The duty on imported motor cars is 60 per cent. I propose to improve the value of imported motor cars as a status symbol by increasing the duty to 100 per cent. In the case of dry fruits, the present valuation for calculating the duty is unrealistic. I propose to adopt a more realistic basis for valuation which will have the effect of raising the duty realisation. The import duty on lubricating oil is being raised from 15 per cent to 27½ per cent to bring it in line with the duty on their constant companion, *viz.*, machinery, and to give an edge to their domestic rivals. These changes will bring in a revenue of Rs. 6.2 crores.

28. We levy a countervailing import duty whenever a commodity is subject to excise. We also have power to levy a countervailing duty in lieu of the excise on the raw materials and components used in any excisable item. No such power exists when the commodity itself is not excisable. I propose to take power to remedy this omission, in the interest of import substitution. In certain cases such as bearings, ship stores and imports by post or air for personal use, multiplicity of rates or classification depending on use causes unnecessary delay and annoyance; and I propose to rectify this also.

Excise Duties

29. Coming to Excise Duties, it is now generally recognised that *ad valorem* duties are more rational than specific duties whose incidence declines during periods of rising prices and increases when prices fall. *Ad valorem* duties can also act as a *spur* to reduction in costs and prices. I propose, therefore, to convert the existing specific rates into *ad valorem* rates for cement, vegetable products, electric fans, lighting bulbs and tubes, soaps, soda ash, caustic soda and sodium silicate. Despite the necessity of rounding, I have resisted the temptation of collecting in the process any appreciable crumbs for the Exchequer.

30. But every rule has an exception; and I have been helped by one special circumstance in deciding on the exception to prove this particular rule. In the case of sugar, we have now a price for controlled releases and a free market price. The incidence of the present specific duty when converted into an *ad valorem* rate, would obviously give two different rates. In choosing between the two rates, I have shown some partiality for the controlled releases on which the present basic and additional duties work out approximately to an *ad valorem* rate of 23 per cent on an average. I have applied this rate to all crystal sugar. As a result, there will be no change in the average price of controlled sugar with only marginal variations in the different zones. Correspondingly, the duty on khandsari is proposed at 12½ per cent *ad valorem* with suitable revisions in existing compounding rates. I hope Honourable Members would not object to free market sugar being taxed at the same *ad valorem* rate as controlled sugar merely because it has the incidental effect of an additional revenue of Rs. 27.45

31. I propose to levy an excise duty at the rate of 10 per cent *ad valorem* on specific domestic electrical appliances and processed food. Honourable Members will recall that last year a duty at the rate of one paisa each was imposed on crown corks. I propose now to unite kings and commoners by an extension of the levy to other similar devices for covering bottles and containers. The levies on electrical appliances processed food and pilfer-proof caps will bring in a revenue of Rs. 4.0 crores.

32. Honourable Members would agree that those who benefit by our substantial investments in agriculture, including research, irrigation facilities, fertilizer plants, rural electrification, credit facilities and support prices should contribute a part of their prosperity towards the cost of development in general. This is all the more so when the benefit of improved technology cannot yet be shared by the majority of our farmers, particularly in dry regions where fertilizers and new seeds are not easy to apply. Similarly, the facilities for lift irrigation by power driven pumps are not spread uniformly. If the benefits of the new agricultural technology are to be carried progressively to a growing proportion of our farm-technology are to be carried progressively to a growing proportion of our farming population, the resources needed for this purpose should come at least in part from the beneficiaries of the process. Against this background, I propose to levy an excise duty of 10 per cent *ad valorem* on fertilizers and 20 per cent *ad valorem* on power driven pumps with a revenue yield of Rs. 24.0 crores of which Rs. 22 crores would be in respect of fertilizers.

33. It is obviously time now for me to turn to appetizers once again. As Honourable Members are aware, the cotton textile industry is going through a difficult time. Some relief in the excise duty is, therefore, called for. The excise duty on yarn in the form of hanks of plain straight reels is being abolished in respect of certain counts and lowered in respect of certain other counts. This should benefit the handloom sector. The powerloom sector will benefit by the abolition of the differential duty on sizing even though the duty on unsized yarn of some counts in the fine and superfine category is being increased. Further, duty on grey fabric is proposed to be abolished and the processing surcharges reduced by five paise per square metre on all varieties of Medium A and non-controlled Medium B and coarse categories of fabrics. This relief would very substantially benefit the weaker cotton mills. The total effect of all the relief proposed will be about Rs. 15.30 crores.

34. About 9.5 crores of the loss would, however, be made up by levying a higher duty of 5 paise per square metre on superfine and fine and 2.5 paise per square metre on all other categories of printed fabrics except the controlled ones and by selectively levying an *ad valorem* duty of 15 per cent on costlier varieties of fabrics such as suitings, tapestry and furnishing fabrics, turkish towels and

others which at present bear a low incidence of duty in relation to their price. In addition, I propose to double the existing compounded levy on powerloom fabrics and to rationalise the duty structure on fents.

35. The duty on nylon yarn in the lower deniers is being reduced and this would be compensated to some extent by an increase in some of the higher ones. The net effect will be a drop in revenue of Rs. 3.9 crores. This concession should help towards eliminating smuggling of nylon yarn about which there has been genuine concern.

36. The duty on confectionery, but not on chocolates, is being reduced from 80 paise per kilogram to 30 paise per kilogram. The duty on electronic valves, transistors and semi-conductor diodes used as components by radio manufacturers is being halved. Low priced sets manufactured by the larger manufacturers in the organised sector will, however, bear a duty of Rs. 10 per set. In the case of steel ingots and products manufactured out of scrap by electric furnace owners, I propose exemption to the extent of the ingot duty. The duty on embroidery, which is proving rather heavy, is being reduced. I am assured on good authority that in the topsy-turvy world of the cinema, the highest achievements of subtlety belong to those who are accustomed to think in terms of black and white. Accordingly, I propose to give some relief to the black and white cinematograph films and raise the incidence on colour films. I also propose to levy a nominal duty of two paise per metre on unexposed cinema films. The overall effect of the somewhat mixed bag of concessions on confectionery, component parts of radios, scrap based steel ingots, embroidery and cinema films will be a revenue loss of Rs. 3.13 crores.

37. To return to more familiar ground, I think the time has come when some of the old faithfuls of indirect taxation everywhere such as cigarettes and motor spirit are relieved of their annual agony. One way of achieving this is to raise the duties sufficiently. I must confess that I did not do a neat enough job in this regard in my last two Budgets. Accordingly, I propose to increase the duty on motor spirit by 7 paise per litre and on cigarettes by 6 per cent to 18 per cent *ad valorem* in the different value slabs with a revenue of Rs. 29.84 crores. The duty on superior kerosene, which is being increasingly used as an adulterant for motor fuels, is also being raised by 4 paise per litre with a yield of Rs. 14.40 crores.

38. The basic excise duty on jute manufacturers is being raised by Rs. 100 per tonne so as to yield a revenue of Rs. 4.95 crores. The duty on cellulosic and non-cellulosic staple fibres is being raised by 20 paise per kilogram and Rs. 12 per kilogram respectively. The duty on rayon yarn is also being raised by about 10 per cent of the existing rates in all except the industrial deniers and the margin of concession in the rates of duty available to small producers compared to large producers of rayon yarn is being reduced. These proposals on synthetic fibres and yarn will yield an additional revenue of Rs. 9.37 crores annually. It is also my intention to transfer the duty on woollen yarn to wool tops; and to begin with, I am levying a small duty on wool tops with a yield of Rs. 6 lakhs.

39. The cumulative effect of all the proposals relating to excise duties including a few sundries will be an additional revenue of Rs. 104.57 crores in a full year of which Rs. 79.95 crores will go to the Centre and Rs. 24.62 crores will be the States' share. As a result of the proposals relating to excise duties, there will be an additional yield of Rs. 26 crores on account of countervailing duty most notably on fertilizer imports.

40. The scheme of self-assessment and removal introduced since June 1968 has worked well and I propose to extend it as soon as possible to most excisable commodities.

Direct Taxation

41. In regard to corporate taxation, I propose to extend the tax holiday concession for new industrial undertakings and ships for a further period of five years from April 1, 1971 to March 31, 1976. I have also come to the conclusion that the familiar instrument of development rebate need not be abandoned or replaced by fancier alternatives. Accordingly, the development rebate will continue to be admissible, but in respect of machinery and plant installed after 31st March, 1970 the reduced rates already provided in the law will apply. The ceiling in the Companies (Profits) Surtax Act on the aggregate corporation tax payable by a widely-held domestic company at 70 per cent of its total income

has now become meaningless. But it still continues to mislead people as if the virtually non-operative ceiling is the norm. Accordingly, I propose to do away with this ceiling. Public companies whose shares are listed in a recognised Stock Exchange in India will now be treated as widely-held companies.

42. In order to minimise the repetitive import of technology and indeed to encourage the development of local know-how, I propose to tax income derived by Indian companies from the transfer or servicing of such know-how on a concessional basis. To encourage the modernisation of two of our important export industries, *viz.*, cotton and jute textiles, I propose to include them in the list of priority industries for the purpose of the development rebate.

43. I propose to introduce later this Session a comprehensive Bill to amend the Income Tax Act and other related enactments. In that Bill, I intend to provide for amortization, over a 10-year period, of promotional expenses and expenses on project report, market surveys, etc. in the case of Indian companies, which are not at present eligible for any depreciation allowance or other deduction. The amount to be amortized will be limited to 2½ per cent of the project cost. The classification of different items of machinery, for the purposes of depreciation, is also being considerably simplified, and the general rate for plant and machinery is being raised from 7 per cent to 10 per cent.

44. In order to bring about a smoother progression in the tax rates on personal incomes, I propose to make a marginal increase in the rate of tax on incomes in the slab of Rs. 10,001 to Rs. 15,000 by 2 per cent from 15 per cent to 17 per cent, and on incomes in the slab of Rs. 15,001 to Rs. 20,000, by 3 per cent from 20 per cent to 23 per cent. The full effect of these increases will fall on tax-payers having incomes of Rs. 20,000 or more and, taken together with the surcharge of 10 per cent of the basic income-tax, the additional tax will amount in each such case to Rs. 275 per year. These changes are expected to yield, in a full year, an additional revenue of Rs. 13.82 crores.

45. I propose to simplify and rationalise the taxation of co-operative societies. In the case of registered firms, I propose to increase taxation slightly by introducing a new slab of income between Rs. 10,001 and Rs. 25,000 on which the rate of basic income-tax will be 4 per cent. This change will yield in a full year additional revenue of Rs. 4.32 crores.

46. I have a special word of cheer for authors, artists, playwrights, musicians and actors. In their case, 25 per cent of the professional income derived from a foreign source and received in India in foreign exchange will be deducted from taxable income. In case this creates apprehensions of cultural drain, I would remind Honourable Members that the best things in life are generally for export.

47. Honourable Members are aware that there has been renewed interest in the equity market on the part of genuine investors. In order to encourage this trend, I propose to raise the exemption from tax enjoyed by dividend incomes from Indian companies from Rs. 500 at present to Rs. 1,000 per year. This will bring investment in shares in Indian companies in line with investment in units of the Unit Trust. I also propose to extend the area of existing tax relief in respect of life insurance premiums.

48. Agricultural wealth has so far been exempt from wealth tax. This has encouraged purchase of such land by the richer professional and business classes. While this has often acted as a spur to greater productivity in agriculture, there is no case in equity for taxing other productive wealth but exempting wealth in the form of agricultural land. I am advised by the Attorney General that the Parliament is competent to legislate for the levy of wealth tax on agricultural wealth. Accordingly, I propose to provide in the Wealth Tax Act for the levy of wealth tax on the value of agricultural land including buildings situated on or in the immediate vicinity of such land. Standing crops, tools, implements and equipment such as tractors will, however, be exempt. Agricultural wealth will be added to other wealth for the purposes of the tax at the existing rates with effect from the assessment year 1970-71. This measure will yield additional revenue of Rs. 5 crores in a full year. But in view of what I have just said, there would be no revenue gain in the coming year. It is my intention to pass on the net proceeds of the revenue of wealth tax on agricultural property to the States as grants-in-aid. I shall however consider as to how genuine agriculturists can be exempted from the purview of this measure and will be moving the necessary amendment to the Finance Bill at the appropriate time.

49. I am proposing a number of changes in the scheme of advance tax payments so as to make it more effective and also to reduce the burden of compliance on small-income tax payers. I am also proposing certain changes in the scale of penalties under the Wealth Tax Act for failure to furnish returns of net wealth and to produce accounts, documents, etc. Another change proposed is meant to ensure the smooth working of the provision made last year for greater use of the banking system in making payments for business expenditure.

50. Honourable Members are aware that ordinarily it is not possible for individuals to escape taxation on their income by transferring their assets to their spouse or minor children. This is, however, often circumvented by use of the special provisions relating to taxation of a Hindu undivided family as a separate unit. I intend to close this loophole by making a suitable provision in the Amendment Bill.

51. Altogether, the changes in direct taxation that I have proposed will yield an additional revenue next year of Rs. 11 crores for the Centre and Rs. 2·5 crores for the States.

Posts and Telegraphs

52. The Posts and Telegraphs Department will again run into a deficit next year. It is, therefore, proposed to revise from dates to be notified certain telephone and telegraph tariffs based broadly on the recommendations of the Tariff Enquiry Committee. A memorandum showing the proposed changes is being circulated along with the Budget papers. The telephone rentals in the four principal cities of Bombay, Calcutta, Madras and Delhi as also for other exchanges will be raised. The Directory enquiry service, which was hitherto free, will be charged. The additional charge for Particular Person and Fixed Time trunk calls will now be uniformly 50 per cent of the basic charge. Increases are also proposed on greetings telegrams, multiple telegrams and telex and a few other services. These changes are expected to yield in a full year Rs. 6·46 crores, and would be just sufficient to cover the anticipated revenue deficit. The effect of these changes has been accounted for in reckoning the total internal resources of public undertakings.

Summing Up

53. To sum up, the net additional revenue accruing to the Centre next year from the measures of taxation I have proposed would be about Rs. 100 crores, of which Rs. 11 crores would be under direct taxes, Rs. 80 crores under excise duties and Rs. 9 crores under customs duties after allowing for the reduction of Rs. 23 crores in export duties. In addition, a sum of about Rs. 27 crores will accrue to the States.

54. I may now summarise the Centre's resources position for the next year. The total gross revenue, after taking into account the additional taxation measures, is estimated at Rs. 3,519 crores, of which Rs. 519 crores will accrue to the States leaving Rs. 3,000 crores for the Centre. Non-Plan expenditure on revenue account, including grants to States, interest charges and defence expenditure, is placed at Rs. 2,558 crores, leaving a non-Plan revenue surplus of Rs. 442 crores. Next year's market borrowing and external borrowing, net of repayments, are estimated at Rs. 106 crores and Rs. 691 crores respectively. After taking into account the transactions under miscellaneous debt deposit heads and after providing for non-Plan capital expenditure and loans, including buffer stock provision and cash losses of some public-sector undertakings, the resources on capital account will be Rs. 1,046 crores. The Centre's budgetary resources for the Plan are accordingly Rs. 1,738 crores, including Rs. 250 crores of deficit financing. In addition, the public-sector undertakings, including the Railways and Posts & Telegraphs, are expected to find Rs. 165 crores for the Plan out of their own resources. The total availability of resources for the Plan next year, exclusive of the States' resources, will thus be Rs. 1,903 crores. Of this Rs. 615 crores have already been earmarked for Plan assistance to the States and Rs. 65 crores to the Union Territories, leaving Rs. 1,223 crores for the Central Plan proper including the Centrally sponsored schemes.

55. Next year's Budget makes a total Plan provision of Rs. 1,738 crores of which Rs. 402 crores are in the revenue budget and Rs. 1,336 crores are in the capital budget. The provision on revenue account includes Rs. 185 crores as grants-in-aid for State Plan schemes, being 30 per cent of the block Central Plan assistance payable from next year as against an average of 20 to 25 per cent at

present. The rest of the Plan provision in the revenue budget is on account of Union Territories Plan as also Central Plan. The Centrally sponsored schemes account for a provision of Rs. 117 crores taking revenue and capital sections together.

56. The Central Plan next year makes a larger provision as compared to the current year for steel production, ports, petrochemicals, fertilizer plants, development of iron ore mines for export and copper and aluminium production. In the main, the increase in outlay reflects the higher tempo of activity on continuing schemes. Even so, it will give a fillip to industries engaged in construction activity and specially the engineering industries. It is also proposed to accelerate the programme of construction of storage for foodgrains. The institutional arrangements for agricultural credit, particularly for fertilizer distribution and rural electrification, are being strengthened with necessary budget support. Larger outlays have also been proposed for family planning.

57. Sir, I cannot emphasise too strongly that my tax proposals and the modest increase in Plan outlays next year should be considered against the background of the severe constraint on our resources. For the past few years, the surplus on revenue account has been declining. For the next year, a revenue deficit of Rs. 60 crores at existing rates of taxation is anticipated in the Centre's Budget. Even after the proposed measures of additional taxation, the deficit will be converted into a surplus of Rs. 40 crores only. On capital account, the position has not shown undue deterioration only because food assistance has been maintained at a high level due to spill-over of imports from this year to next year. As self-reliance in foodgrains is achieved, this resource will progressively dwindle; and if development outlays are not to be curtailed unduly, other measures of raising resources will have to be devised. Honourable Members will also appreciate that the all-pervasive objective of growth with social and political stability and increasing self-reliance cannot be achieved by budgetary policy alone. It will require the disciplined participation of every section of the community and every region of the country. Only so we can carry this great nation forward in the struggle against mass poverty which is as rewarding as it is arduous. I can only hope that the Budget I have had the honour to present makes a modest contribution towards this end.

Thank you.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969